न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 72/2020 बउनवानी देवकीनन्दन शर्मा बनाम लोक.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार निवासी बांकी माता मंदिर के पीछे शहर सवाईमाधोपुर

तारीख हुकुम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.11.2020	दिनांक 17.11.2020 को अवकाश घोषित होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई है। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 07.09.2020 को सहायक लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. यह है कि आपके कार्यालय पत्रांक रीडर 4681 दिनांक 28.11.2014 की पालना में तहसीलदार खण्डार द्वारा भेजी गयी खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बिस्वा पक्का कुआं की तथ्यात्मक रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि चाहिऐ। 2. यह है कि हम सभी के द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 19.2.2020,स्मरण पत्र दिनांक 7.7.2020,14.7.2020,18.7.2020 व 29.7.2020 एवं 29.8.2020 दिनांक 1.9.2020 पर आपके द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ()/2020/1115 दिनांक 27.10.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2020 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक सूकाअ/2020/1110 दिनांक 26.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार खण्डार को लिखा जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 07.09.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक सूकाअ/2020/1110 दिनांक 26.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार खण्डार को अन्तरित किया जा चुका है। चूंकि उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा उनके कार्यालय से संबंधित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। किन्तु तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (नन्नूमल पहाडिया) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nannu Mal Pahadia
Date: 2020.12.24 15:24:01 IST
Reason: SelfAttested